संख्या– 2038 /सोलह–3–2017–15(207)/17

प्रेषक,

सुरजन,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. कुलसचिव,डा0ए0पी0जे0 अब्दुलकलाम, प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, लखनऊ।
2. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा विभाग उ0प्र0 कानपुर।
3. निदेशक, शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान उ0प्र0 कानपुर।
4. सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ
5. सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–3 दिनांक: 19 दिसम्बर, 2017

विषयः– उत्तर प्रदेश में नई प्राविधिक शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने/नवीन प्राविधिक पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने की आवश्यकता के संबंध में परस्पैक्टिव प्लान।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश में डिग्री/डिप्लोमा स्तरीय नई प्राविधिक संस्थाओं की स्थापना तथा नवीन प्राविधिक पाठ्यक्रमों को संचालित करने की आवश्यकता तथा इस संबंध में प्राप्त होने वाले अनुरोधों पर अनुज्ञा दिए जाने के संबंध में परस्पैक्टिव प्लान की प्रति संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया तद्नुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें। कृपया परस्पैक्टिव प्लान की सूचना वेब साइट पर प्रमुखता से प्रदर्शित भी की जाए।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(सुरजन)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार नेल्सन मण्डेला मार्ग बसंतकुंज नई दिल्ली को पत्रांक AICTE/AB/SCR/2017-18/APH 2018-19 दिनांक 08.08.2017 के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद विकास नगर कानपुर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, भारतीय भेषज परिषद कैसरबाग लखनऊ।
4. निजी सचिव, सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग।
5. निजी सचिव, विशेष सचिवगण, प्राविधिक शिक्षा विभाग।
6. प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–1/2
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप बाबू)
अनु सचिव।

G.O. 3.0

उत्तर प्रदेश में डिग्री/डिप्लोमा स्तरीय नई प्राविधिक संस्थाओं की स्थापना तथा नवीन प्राविधिक पाठ्यक्रमों को संचालित करने की आवश्यकता के संबंध में परस्पैक्टिव प्लान

.....

प्रदेश में डिग्री/डिप्लोमा स्तरीय नई प्राविधिक संस्थाओं की स्थापना तथा नवीन प्राविधिक पाठ्यक्रमों को संचालित करने की आवश्यकता पर विचार करते हुए इस संबंध में प्रदेश स्तरीय परस्पैक्टिव प्लान तैयार किए जाने हेतु कुलपति डा0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ की अध्यक्षता में एक साथ सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। उक्त समिति द्वारा प्रदेश में जनपदवार प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं की उपलब्धता, उनमें प्रवेश की स्थिति तथा निकट भविष्य में प्राविधिक पाठ्यक्रमों/संस्थानों में प्रवेश क्षमता वृद्धि की आवश्यकता आदि से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करते हुए सम्यक विचारोपरान्त इंजीनियरिंग फार्मेसी आर्किटेक्चर एवं प्रबंधन जैसे प्राविधिक पाठ्यक्रमों में डिग्री/डिप्लोमा स्तरीय नई प्राविधिक संस्थाओं की प्रदेश में स्थापना करने की आवश्यकता के संबंध में अपनी संस्तुति राज्य सरकार को दिनांक 16.10.2017 को प्रस्तुत की गई। समिति की संस्तुतियों के आधार पर तैयार किए गए ड्राफ्ट परस्पैक्टिव प्लान के बिन्दुओं पर राज्य सरकार द्वारा विभिन्न हितबद्ध पक्षो/संस्थाओं/संगठनों के सुझाव व आपत्तियॉ आमंत्रित की गई ।

ड्राफ्ट परस्पैक्टिव प्लान के विभिन्न बिन्दुओं पर प्राप्त सुझाव/आपत्तियों पर सम्यक विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश में डिग्री/डिप्लोमा स्तरीय नई प्राविधिक संस्थाओं की स्थापना तथा नवीन प्राविधिक पाठ्यक्रमों को संचालित करने की आवश्यकता के संबंध में राज्य सरकार का दृष्टिकोण व्यक्त किए जाने के आशय से परस्पैक्टिव प्लान का निर्धारण निम्नवत् किया गया है:-

1. ऐसे जनपदों जहॉ स्थापित राजकीय पालीटेक्निक संस्थाओं में छात्रों के सेवायोजन का प्रतिशत 25 प्रतिशत से कम है उनमें नई राजकीय पालीटेक्निक संस्थाऐं स्थापित किये जाने पर विचार नहीं किया जायेगा।
2. प्रदेश के जिन जनपदों में राजकीय पालीटेक्निक संस्थाओं में अध्ययनरत छात्रों के सेवायोजन का प्रतिशत 25 प्रतिशत से अधिक है उन जनपदों में यदि कोई राजकीय पालीटेक्निक संस्था निर्माणाधीन/स्थापनाधीन नहीं है तो

ऐसी स्थिति में पूर्व स्थापित/संचालित राजकीय पालीटेक्निक संस्थाओं में अतिरिक्त पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की अनुज्ञा प्रदान की जाएगी।

3. प्रदेश के जिन जनपदों में स्थापित निजी क्षेत्र की पालीटेक्निक संस्थाओं में रिक्त सीटों का प्रतिशत 10 प्रतिशत से अधिक हैं, ऐसे जनपदों में निजी क्षेत्र में नवीन पालीटेक्निक संस्थान खोलने की अनुज्ञा देने पर विचार नहीं किया जायेगा।

4. प्रदेश के जिन जनपदों में स्थापित निजी क्षेत्र की पालीटेक्निक संस्थाओं में रिक्त सीटों का प्रतिशत 10 से कम है अथवा जिन जनपदों में निजी क्षेत्र में एक भी पालीटेक्निक संस्था स्थापित/संचालित नहीं है, ऐसे जनपदों में अधिकतम दो पालीटेक्निक संस्थाऐं निजी क्षेत्र में स्थापित करने की अनुज्ञा गुणावगुण के आधार प्रदान की जा सकेगी।

5. प्रदेश में नवीन राजकीय पालीटेक्निक की स्थापना करने के स्थान पर पूर्व संचालित संस्थाओं की प्रवेश क्षमता में वृद्धि, उनमें साज-सज्जा उपकरण, छात्र सुविधाएं तथा शिक्षकों की उपलब्धता ए0आई0सी0टी0ई0 के मानक के अनुसार पूर्ण करते हुये छात्रों को गुणवत्तापरक शिक्षण-प्रशिक्षण प्रदान करने पर बल दिया जायेगा।

6. निजी क्षेत्र में डिग्री स्तरीय नई प्राविधिक संस्था की स्थापना हेतु अनुज्ञा प्रदान करने पर विचार नहीं किया जायेगा, क्योंकि वर्तमान में डिग्री स्तरीय प्राविधिक संस्थाओं में उपलब्ध सीटों के सापेक्ष 62 प्रतिशत सीटें रिक्त हैं। यद्यपि फार्मेसी के क्षेत्र में मॉग के दृष्टिगत डिग्री/डिप्लोमा स्तर की संस्थाएं स्थापित करने/पाठ्यक्रम चलाने की अनुज्ञा, गुणावगुण के आधार पर प्रदान की जाएगी।

7. भारत सरकार के निर्देशों एवं मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुपालन में किसी भी जनपद में डिग्री/ डिप्लोमा स्तरीय नये प्राविधिक संस्थानों/पाठ्यक्रमों की स्थापना की जा सकेगी।

प्रदेश में नई प्राविधिक संस्थाओं की स्थापना तथा नए पाठ्यक्रम प्रारम्भ किए जाने के संबंध में प्राप्त होने वाले अनुरोधो पर अनुज्ञा दिए जाने के संबंध में उक्त प्लान के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

.....